4738

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

पत्रांक— 354 /पटना, दिनांक— 13/7/20 /
संजोध / सहायक / सहायक परिचालक / 41 / 2015 Part-II

प्रेषक,

अभि0 अरूण कुमार चौधरी
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

सेवा में,

महाप्रबंधक (मानव संसाधन / प्रशासन)
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना।

विषय— फर्जी आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित सहायक परिचालक ग्रेड–II का नियोजन समाप्त करने के संबंध में।

प्रसंग:— आपका पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि फर्जी आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित सभी 19 सहायक परिचालक ग्रेड–II का नियोजन समाप्ति का आदेश निर्गत किया गया है। नियोजन समाप्ति का निर्गत आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त आदेशो को कंपनी के वेबसाईट पर संबधितो को सूचनार्थ अपलोड कराने की कृपा की जाय।

साथ ही अनुरोध करना है कि **CWJC No-1421/2019** (राजकमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–16.05.2019 के आलोक मे अनुपालन कार्रवाई / अद्यतन स्थिति से कंपनी के अधिवक्ता को अवगत कराने की कृपा की जाए ताकि एदत सूचना माननीय न्यायालय के आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किया जा सके।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक–यथैव।

13/7/20
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

1790/GM(HR/Adm)
25/08/2020

888/DGM(P)
27/08/2020

U.S.-II
28/8

S.O.-II
31/8/2020

2392
03/09/2020

1477

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या— 35 /पटना, दिनांक— 16/6/20 /
संजोप/सपाप्र/सहायक परिचालक/41/2016 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन **श्री अभय कुमार, पुत्र श्री राधा साह, ग्राम–धरमपुरा, पो0–रसलपुरा, थाना–ढोरीगंज, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** को दिनांक–05.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के आधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन श्री **कुमार** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **कुमार** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–164 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **कुमार** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक– 28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित **श्री अभय कुमार** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं** है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जाँच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–41** पर अंकित श्री **कुमार** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–164 दिनांक–15.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विनिर्दिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका–(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री **कुमार** के शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तो के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–42 दिनांक–21.02.2019** द्वारा श्री **कुमार** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–05.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री **कुमार** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा याचिकाकर्त्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्त्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0–87 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **कुमार** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओ) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक–1054 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **कुमार** को दिनांक–**26.08.2019** को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **कुमार** ने अपने आवेदन दिनांक–**26.08.2019** द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय माँगा गया। श्री **कुमार** के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक–**1187** दिनांक–**11.09.2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक–**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक–**14.10.2019** को श्री **कुमार** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक–**1304** दिनांक–**14.10.2019** द्वारा दिनांक–**07.11.2019** को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री **कुमार**, निर्धारित तिथि दिनांक–07.11.2019 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना आई0टी0आई0 मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए जबाव समर्पित किया गया। श्री **कुमार** द्वारा समर्पित जबाव में आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को सही होने एवं मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा श्री **कुमार** से प्राप्त जवाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री **कुमार** द्वारा समर्पित आई0टी0आई0 मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र की प्रतियाँ वही है जिसे वे पूर्व में अनुबंध नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय में समर्पित किये थे। चुकि उक्त प्रमाण–पत्रो को परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक

1475

कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा जाली एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा 'निर्गत नही' प्रतिवेदित किया गया है। अतएव श्री **कुमार** द्वारा फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने का मामला पूर्णतः स्थापित होता है। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री अभय कुमार के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–05.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर नियमितिकरण दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री अभय कुमार, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, कटरा, पुत्र– श्री राधा साह, ग्राम–धरमपुरा, पो0–रसलपुरा, थाना–डोरीगंज, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.................................पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपि– **श्री अभय कुमार, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II संचरण अवर प्रमंडल, कटरा ,पुत्र श्री राधा साह, ग्राम–धरमपुरा, पो0–रसलपुरा, थाना–डोरीगंज, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.................................पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपि–विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पूर्वी)/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, कटरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री अभय कुमार, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II संचरण अवर प्रमंडल, कटरा ,पुत्र श्री राधा साह, ग्राम–धरमपुरा, पो0–रसलपुरा, थाना–डोरीगंज, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करने (यथा–संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.........293.........पटना, दिनांक ....16/6/20........./

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/6/20
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या– 34 /पटना, दिनांक– 16/6/20 /
संजोप/सहायक/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट-2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन **श्री गोरख राय, पुत्र– श्री धर्मनाथ सिंह, ग्राम–मंधीतवां, पो0–मस्तीचक, थाना–दरियापुर, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** को दिनांक–07.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन श्री **राय** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **राय** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–158 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **राय** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक– 28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित **श्री गोरख राय** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं** है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनःजाँच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–43** पर अंकित श्री **राय** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–158 दिनांक–15.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विर्निदिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15. 2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका–(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:– "If any information given b them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री **राय** के शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–43 दिनांक–21.02.2019** द्वारा श्री **राय** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–07.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री **राय** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा याचिकाकत्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकत्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0–87 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **राय** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओ) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक–1052 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **राय** को दिनांक–**26.08.2019** को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पते पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **राय** ने अपने आवेदन दिनांक–**26.08.2019** द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय माँगा गया। श्री **राय** के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक–**1185** दिनांक–**11.09. 2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक–**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक–**14.10.2019** को श्री **राय** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक–**1305** दिनांक–**14.10.2019** द्वारा दिनांक–**07.11.2019** को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री **राय** निर्धारित तिथि दिनांक–07.11.2019 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना आई0टी0आई0 मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए जबाव समर्पित किया गया। श्री **राय** द्वारा समर्पित जबाव में आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को सही होने एवं मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा श्री **राय** से प्राप्त जवाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री **राय** द्वारा समर्पित आई0टी0आई0 मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र की प्रतियाँ वही है जिसे वे पूर्व में अनुबंध नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय में समर्पित किये थे। चुकि उक्त प्रमाण–पत्रो को परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक

कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा जाली एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा 'निर्गत नही' प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही श्री राय के आई०टी०आई० अंक पत्र का संख्या (034495) एवं अन्य 03 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों के आई०टी०आई० अंक पत्र का संख्या (034495) एक है। अतएव श्री **राय** द्वारा फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण–पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने का मामला पूर्णतः स्थापित होता है। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तो के अधीन श्री गोरख राय के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–07.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर नियमितिकरण दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री गोरख राय, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, डुमरॉव, पुत्र– श्री धर्मनाथ सिंह, ग्राम–मंचीतवां, पो०–मस्तीचक, थाना–दरियापुर, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह०/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि– **श्री गोरख राय, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, डुमरॉव, पुत्र– श्री धर्मनाथ सिंह, ग्राम–मंचीतवां, पो०–मस्तीचक, थाना–दरियापुर, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि–विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, डेहरी–ऑन–सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन /सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, **डुमरॉव** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री गोरख राय, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, डुमरॉव, पुत्र– श्री धर्मनाथ सिंह, ग्राम–मंचीतवां, पो०–मस्तीचक, थाना–दरियापुर, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करने (यथा–संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह०/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक 291 पटना, दिनांक 16/6/20 /.

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या– 47 /पटना, दिनांक– 16/6/20 /
संजोप/सा०का०/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन **श्री विकाश कुमार, पुत्र–श्री विजय कुमार सिंह, ग्राम–मलुआ शंकरडीह,पो0–मलुआ भिखारी, थाना–शंकरडीह, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तद्‌क्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री **कुमार** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **कुमार** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश मे विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–157 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **कुमार** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक–28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित **श्री विकाश कुमार** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से निर्गत नहीं है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–31** पर अंकित श्री **कुमार** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–157 दिनांक–15.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विर्निदिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका–(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री **कुमार** के शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–35 दिनांक–21.02.2019** द्वारा श्री **कुमार** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री **कुमार** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा याचिकाकत्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकत्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0–87 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **कुमार** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओं) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक–1064 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **कुमार** को दिनांक–**28.08.2019** को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पॉच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **कुमार** ने अपने आवेदन दिनांक–**28.08.2019** द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय मॉगा गया। श्री **कुमार** के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक–**1174** दिनांक–**11.09.2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक–**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक–**14.10.2019** को श्री **कुमार** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक–**1314** दिनांक–**14.10.2019** द्वारा दिनांक–**07.11.2019** को समिति के समक्ष निरिक्षत रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा–दिनांक–07.11.2019 को श्री **कुमार** समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री **कुमार** द्वारा उनके फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण पत्रो के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण–पत्रो को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री **कुमार** अपने फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र से भली–भांति अवगत रहते हुए लिखित जबाव समर्पित नही किया गया। **तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।**

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन **श्री विकाश कुमार** के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर नियमितिकरण को दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री विकाश कुमार, तदेन सहायक परिचाल ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, सिपारा, गौरीचक, पुत्र–श्री विजय कुमार सिंह, ग्राम–भलुआ शंकरडीह,पो0–भलुआ भिखारी, थाना–शंकरडीह, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक........................पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपि– **श्री विकाश कुमार, तदेन सहायक परिचालक, संचरण अवर प्रमंडल, सिपारा, गौरीचक, पुत्र– श्री विजय कुमार सिंह, ग्राम–भलुआ शंकरडीह,पो0–भलुआ भिखारी, थाना–शंकरडीह, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** को **सूचनार्थ प्रेषित।**

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक........................पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपि– विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, पटना (पूर्वी)/संचरण अंचल, बिहारशरीफ/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पूर्वी)/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, सिपारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पूर्वी) से अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री विकाश कुमार, तदेन सहायक परिचाल ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, सिपारा, गौरीचक, पुत्र–श्री विजय कुमार सिंह, ग्राम–भलुआ शंकरडीह,पो0–भलुआ भिखारी, थाना–शंकरडीह, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करने (यथा–संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करना) एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक......304......पटना, दिनांक ......16/6/20...../

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या— 49 /पटना, दिनांक— 16/6/20 /
संजोप/स्था०/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–3

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन **श्री सुशील कुमार यादव, पुत्र– श्री सुरेन्द्र यादव, ग्राम–डुमरी, पो0–डुमरी अड्डा, थाना–डोरीगंज, जिला–सारण, छपरा (बिहार)** को दिनांक–07.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के आधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तद्क्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन श्री **यादव** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **यादव** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में **विनिर्दिष्ट** शर्तो के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–159 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **यादव** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक– 28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियो सहित **श्री सुशील कुमार यादव** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं है।**

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरुप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनःजाँच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–40** पर अंकित श्री **यादव** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–159 दिनांक–15.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर ज़ालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–08 में विर्निदिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका–(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री **यादव** के शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–27 दिनांक–21.02.2019** द्वारा श्री **यादव** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–07.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री **यादव** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा याचिकाकत्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकत्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0–87 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **यादव** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओं) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक–1059 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **यादव** को दिनांक–**30.08.2019** को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक मे प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पॉच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **यादव** ने अपने आवेदन दिनांक–**30.08.2019** द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय मॉगा गया। श्री **यादव** के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक–**1188** दिनांक–**11.09.2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक–**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक–**14.10.2019** को श्री **यादव** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक–**1319** दिनांक–**14.10.2019** द्वारा दिनांक–**07.11.2019** को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री **यादव** निर्धारित तिथि दिनांक–07.11.2019 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना आई0टी0आई0 मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए जबाव समर्पित किया गया। श्री **यादव** द्वारा समर्पित जबाव में आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को सही होने एवं मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा श्री **यादव** से प्राप्त जवाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री **यादव** द्वारा समर्पित आई0टी0आई0 मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र की प्रतियॉ वही है जिसे वे पूर्व में अनुबंध नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय में समर्पित किये थे। चुकि उक्त प्रमाण–पत्रो को परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक

कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा जाली एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत नही प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही श्री **यादव** के आई०टी०आई० अंक पत्र का संख्या (034495) एवं अन्य 03 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों के आई०टी०आई० अंक पत्र का संख्या (034495) एक है। अतएव श्री **यादव** द्वारा फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण–पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने का मामला पूर्णतः स्थापित होता है। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री सुशील कुमार यादव के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–07.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर नियमितिकरण दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री सुशील कुमार यादव, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, डुमरॉव, पुत्र– श्री सुरेन्द्र यादव, ग्राम–डुमरी, पो०–डुमरी अड्डा, थाना–डोरीगंज, जिला–सारण, छपरा (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह०/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि– **श्री सुशील कुमार यादव, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, डुमरॉव, पुत्र– श्री सुरेन्द्र यादव, ग्राम–डुमरी, पो०–डुमरी अड्डा, थाना–डोरीगंज, जिला–सारण, छपरा (बिहार)** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि– विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, डेहरी–ऑन–सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन /सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, **डुमरॉव** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री सुशील कुमार यादव, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, डुमरॉव, पुत्र– श्री सुरेन्द्र यादव, ग्राम–डुमरी, पो०–डुमरी अड्डा, थाना–डोरीगंज, जिला–सारण, छपरा (बिहार)** के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करने (यथा–संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह०/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक 305 पटना, दिनांक 16/6/20 /

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।

15/6/20
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

465

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या— 45 /पटना, दिनांक— 16/6/20 /
संजोप/सं०का०/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं०–01/09 के अन्तर्गत का०आ०संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन **श्री सोनु कुमार सिंह, पुत्र श्री भागीरथ सिंह, ग्राम–बदुराही, पो०–सोनपुर, थाना–सोनपुर, जिला–.सारण, छपरा (बिहार)** को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन **श्री सिंह** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **सिंह** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई०टी०आई० प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–163 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा **श्री सिंह** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं०–59 दि०–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई०टी०आई० प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक–28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि०–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित **श्री सोनु कुमार सिंह** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई०टी०आई० प्रमाण्य पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं** है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि० 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई०टी०आई० दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–39** पर अंकित **श्री सिंह** के आई०टी०आई० प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–163 दिनांक–15.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विर्निदिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक-15.0 2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

इस प्रकार श्री सिंह के शैक्षणिक योग्यता यथा-आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तो के अधीन संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0-44 दिनांक-21.02.2019 द्वारा श्री सिंह का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-10.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री सिंह एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-16.05.2019 द्वारा याचिकाकत्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकत्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0-87 दिनांक-07.08.2019 द्वारा श्री सिंह सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओ) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-1063 दिनांक-07.08.2019 द्वारा श्री सिंह को दिनांक-26.08.2019 को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा-आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री सिंह ने अपने आवेदन दिनांक-26.08.2019 द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय माँगा गया। श्री सिंह के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-1186 दिनांक-11.09.2019 द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-14.10.2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-14.10.2019 को श्री सिंह समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक-1306 दिनांक-14.10.2019 द्वारा दिनांक-07.11.2019 को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा-दिनांक-07.11.2019 को श्री सिंह समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री सिंह द्वारा उनके फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण पत्रो के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण-पत्रो को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिंह अपने फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र से भली-भाति अवगत रहते हुए लिखित जबाव समर्पित नही किया गया। **तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 की कण्डिका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।**

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री सोनु कुमार सिंह के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर नियमितिकरण को दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री सोनु कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, झंझारपुर पुत्र श्री भागीरथ सिंह, ग्राम–बदुराही, पो0–सोनपुर, थाना–सोनपुर, जिला–.सारण, छपरा (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि– **श्री सोनु कुमार सिंह, पुत्र श्री भागीरथ सिंह, ग्राम–बदुराही, पो0–सोनपुर, थाना–सोनपुर, जिला–.सारण, छपरा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।**

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि–महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता, संचरण जोन, मुजफ्फरपुर/विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, दरभंगा/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, दरभंगा/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री सोनु कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, झंझारपुर पुत्र श्री भागीरथ सिंह, ग्राम–बदुराही, पो0–सोनपुर, थाना–सोनपुर, जिला–.सारण, छपरा (बिहार)** के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई यथा–संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....302.....पटना, दिनांक .....16/6/20...../

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/6/20

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

462

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या— 37 /पटना, दिनांक— 16/6/20 /
संजोन/स्था/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन **श्री शशिभूषण कुमार, पुत्र श्री बच्चा सिंह, ग्राम+पो0–.ककरहट, जिला–. सारण, छपरा (बिहार)** को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तद्क्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री **कुमार** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **कुमार** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,.पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र "निर्गत नहीं" प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–156 दिनांक 15.02.2016** एवं **पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **कुमार** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक–28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि '**पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित **श्री शशिभूषण कुमार** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं है**।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–38** पर अंकित श्री **कुमार** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–156 दिनांक–15.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विर्निदिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका–(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

इस प्रकार श्री **कुमार** के शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–26 दिनांक–21.02.2019** द्वारा श्री **कुमार** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री **कुमार** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा याचिकाकत्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकत्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0–87 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **कुमार** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओं) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक–1062 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **कुमार** को दिनांक–**30.08.2019** को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **कुमार** ने अपने आवेदन दिनांक–**30.08.2019** द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय माँगा गया। श्री **कुमार** के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक–**1184** दिनांक–**11.09.2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक–**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक–**14.10.2019** को श्री **कुमार** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक–**1318** दिनांक–**14.10.2019** द्वारा दिनांक–**07.11.2019** को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा–दिनांक–07.11.2019 को श्री **कुमार** समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री **कुमार** द्वारा उनके फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण पत्रो के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण–पत्रो को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री **कुमार** अपने फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र से भली–भांति अवगत रहते हुए लिखित जबाव समर्पित नही किया गया। **तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।**

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन **श्री शशिभूषण** कुमार के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर नियमितिकरण को दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री शशिभूषण कुमार, तदैन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, कटरा, पुत्र श्री बच्चा सिंह, ग्राम+पो0–.ककरहट, जिला–.सारण, छपरा (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि– **श्री शशिभूषण कुमार, तदैन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, कटरा, पुत्र श्री बच्चा सिंह, ग्राम+पो0–.ककरहट, जिला–.सारण, छपरा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।**

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि–विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पूर्वी)/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, कटरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री शशिभूषण कुमार, तदैन सहायक परिचालक, संचरण अवर प्रमंडल, कटरा पुत्र श्री बच्चा सिंह, ग्राम+पो0–.ककरहट, जिला–.सारण, छपरा (बिहार)** के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई यथा–संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक 294 पटना, दिनांक 16/6/20/

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/6/20
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

459

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या— 39 —/पटना, दिनांक— 16/6/20 /
संजीप/का0आ0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन **श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, पुत्र श्री विरबहादुर सिंह, ग्राम–अलेखटोला, पो0–.गरीबटोला, थाना–रिविलगंज, जिला–.सारण, (बिहार)** को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के आधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तद्क्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन **श्री सिंह** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **सिंह** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–161 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक– 21.03.2016** द्वारा श्री **सिंह** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रों को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक–28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित **श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं** है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–37** पर अंकित श्री **सिंह** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–161 दिनांक–15.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विर्निदिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका–(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री **सिंह** के शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तो के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–28 दिनांक–21.02.2019** द्वारा श्री **सिंह** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री **सिंह** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा याचिकाकर्त्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्त्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0–87 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **सिंह** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओं) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक–1060 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **सिंह** को दिनांक–**30.08.2019** को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **सिंह** ने अपने आवेदन दिनांक–**30.08.2019** द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय माँगा गया। श्री **सिंह** के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक–**1173** दिनांक–**11.09.2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक–**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक–**14.10.2019** को श्री **सिंह** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक–**1320** दिनांक–**14.10.2019** द्वारा दिनांक–**07.11.2019** को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा–दिनांक–07.11.2019 को श्री सिंह समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री सिंह द्वारा उनके फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण पत्रो के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण–पत्रो को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री **सिंह** अपने फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र से भली–भाति अवगत रहते हुए लिखित जबाव समर्पित नही किया गया। **तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।**

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन **श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह** के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर नियमितिकरण को दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, भभुआ पुत्र श्री विरबहादुर सिंह, ग्राम–अलेखटोला, पो0–.गरीबटोला, थाना–रिविलगंज, जिला–.सारण, (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि– **श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, भभुआ पुत्र श्री विरबहादुर सिंह, ग्राम–अलेखटोला, पो0–.गरीबटोला, थाना–रिविलगंज, जिला–.सारण, (बिहार)** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि–विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, डेहरी–आन–सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, डेहरी–आन–सोन/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, भभुआ पुत्र श्री विरबहादुर सिंह, ग्राम–अलेखटोला, पो0–.गरीबटोला, थाना–रिविलगंज, जिला–.सारण, (बिहार)** के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई यथा–संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....296.....पटना, दिनांक .....16/6/20...../

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/6/20
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या— 48 /पटना, दिनांक— 16/6/20 /
संजो/नि0शा0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन **श्री संतोष कुमार सिंह, पुत्र–श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम–जिगना,पो0+थाना–गड़खा, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तद्क्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री **सिंह** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **सिंह** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–169 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **सिंह** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक– 28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित **श्री संतोष कुमार सिंह** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं** है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनःजाँच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–36** पर अंकित श्री **सिंह** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–169 दिनांक–15.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विर्निदिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिन 2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि- "If any information g them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employme their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री **सिंह** के शैक्षणिक योग्यता यथा-आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तो के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0-41 दिनांक-21.02.2019** द्वारा श्री सिंह का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-10.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्व श्री **सिंह** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-16.05.2019 द्वारा याचिकाकत्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकत्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0-87 दिनांक-07.08.2019 द्वारा श्री **सिंह** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओ) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-1053 दिनांक-07.08.2019 द्वारा श्री **सिंह** को दिनांक-**26.08.2019** को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा-आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले मे उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पॉच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **सिंह** ने अपने आवेदन दिनांक-**26.08.2019** द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय मॉगा गया। श्री **सिंह** के आवेदन के आलोक मे संचरण जोन, पटना के पत्रांक-**1181** दिनांक-**11.09.2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-**14.10.2019** को श्री **सिंह** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक-**1303** दिनांक-**14.10.2019** द्वारा दिनांक-**07.11.2019** को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री सिंह निर्धारित तिथि दिनांक-07.11.2019 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना आई0टी0आई0 मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए जबाव समर्पित किया गया। श्री **सिंह** द्वारा समर्पित जबाव में आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को सही होने एवं मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-16.05.2019 द्वारा बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा श्री **सिंह** से प्राप्त जवाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिंह द्वारा समर्पित आई0टी0आई0 मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की प्रतियॉ वही है जिसे वे पूर्व में अनुबंध नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय में समर्पित किये थे। चुकि उक्त प्रमाण-पत्रो को परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-2069 दिनांक-16.09.2015 एवं सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक

कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा जाली एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही श्री सिंह के आई0टी0आई0 अंक पत्र का संख्या (034495) एवं अन्य 03 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों के आई0टी0आई0 अंक पत्र का संख्या (034495) एक है। अतएव श्री सिंह द्वारा फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने का मामला पूर्णतः स्थापित होता है। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 की कण्डिका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री संतोष कुमार सिंह के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-10.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर नियमितिकरण दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री संतोष कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, बिहटा, पुत्र-श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम-जिगना,पो0+थाना-गड़खा, जिला-छपरा, सारण (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/-
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि- **श्री संतोष कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, बिहटा, पुत्र-श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम-जिगना,पो0+थाना-गड़खा, जिला-छपरा, सारण (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।**

ह0/-
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि-विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, पटना (पश्चिमी)/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पश्चिमी)/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, बिहटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री संतोष कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, बिहटा, पुत्र-श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम-जिगना,पो0+थाना-गड़खा, जिला-छपरा, सारण (बिहार)** के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करने (यथा-संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/-
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक 305 पटना, दिनांक 16/6/20/

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/6/20

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

453

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या– 36 /पटना, दिनांक– 16/6/20 /
संजोप/सहायक/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन **श्री राजकमल, पुत्र श्री जगदेव हजरा, ग्राम–बन्देय,पो0–धरमपुर बन्देय, भाया–पटोरी जिला–समस्तीपुर,** बिहार को दिनांक–17.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के आधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजन किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन श्री **राजकमल** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **राजकमल** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आई0टी0आई0 अंक पत्र में **"मार्क्स बढ़ाकर दिया गया है अर्थात मार्क्स मे भिन्नता"** है। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–205 दिनांक–27.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **राजकमल** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान है। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक–28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07. 2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त **श्री राजकमल** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 अंक पत्र में "मार्क्स में भिन्नता है अर्थात मार्क्स बढ़कार लिखा गया है। इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11. 2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्यौगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनःजाँच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–17** पर अंकित श्री **राजकमल** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"मार्क्स बढ़ाकर दिया गया है, मार्क्स में भिन्नता"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–205 दिनांक–27.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन में कंडिका–06 में निम्न शर्त विर्निदिष्ट था– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

एवं, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण का आदेश की कण्डिका–(VIII) में निम्न शर्त विनिर्दिष्ट है– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

इस प्रकार श्री **राजकमल** के शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई0 अंक–पत्र में हेर–फेर (manipulation) पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–36 दिनांक–21.02.2019** द्वारा श्री **राजकमल** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–17.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री **राजकमल** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा याचिकाकर्त्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्त्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0–67 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **राजकमल** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओं) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक–1050 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **राजकमल** को दिनांक–**26.08.2019** को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री **राजकमल**, निर्धारित तिथि दिनांक–26.08.2019 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर लिखित पक्ष समर्पित किया गया। श्री राजकमल द्वारा अपने जबाव में उल्लेख किया गया कि परीक्षा नियंत्रक के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा उनके आई0टी0आई0 अंक–पत्र में मार्क्स में भिन्नता का सत्यापन गलत है। साथ ही उल्लेख किया गया कि आई0टी0आई0 संस्थान द्वारा उन्हें पूर्व में जो अंक–पत्र/प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया उसकी जानकारी उन्हें नही थी लेकिन सत्यापन के उपरान्त संस्थान द्वारा उन्हें जो आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र दिया गया है, वह सही है। श्री राजकमल द्वारा अपने लिखित पक्ष के साथ आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र की प्रतियॉ भी समर्पित की गई। श्री राजकमल के उक्त जबाव के आलोक में समिति द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राजकमल द्वारा अनुबंध नियोजन एवं क्रम में सेवा का नियमितिकरण के समय समर्पित किये गये आई0टी0आई प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र की प्रतियॉ तथा वर्तमान में लिखित पक्ष के साथ समर्पित किये गये आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र की प्रतियों का मिलान करने पर पाया गया कि प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र का क्रम संख्या एक है परन्तु अंक–पत्र में विभिन्न विषयों में प्राप्तांक एवं कुल प्राप्तांक में भिन्नता है। अनुबंध नियोजन एवं सेवा नियमितिकरण हेतु समर्पित आई0टी0आई0 अंक पत्र में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंको के आधार पर कुल प्राप्तांक–630 अंकित है, जबकि लिखित जबाव के साथ समर्पित अंक पत्र में विभिन्न विषयों में मिले अंको के आधार पर कुल प्राप्तांक–559 अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि नियोजन हेतु श्री राजकमल द्वारा समर्पित अंक–पत्र में कुल मार्क्स में 71 (एकहत्तर) मार्क्स बढ़ाकर अंकित है अर्थात मार्क्स की भिन्नता है। उक्त आधार पर समिति द्वारा प्रतिवेदित है कि श्री राजकमल के द्वारा आई0टी0आई0 अंक–पत्र में फर्जीवाड़ा/हेरफेर (manipulate) कर विषयवार एवं कुल प्राप्तांक को बढ़ाया गया ताकि प्राप्तांक के आधार पर उनका नाम मेधा–सूची में आ सके एवं नियोजन सुनिश्चित हो सके। चुकि परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन

विभाग, बिहार सरकार, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा श्री राजकमल के आई0टी0आई0 अंक–पत्र के संबंध में **"मार्क्स बढ़ाकर दिया गया है, मार्क्स में भिन्नता"** प्रतिवेदित है, तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन से अवगत होकर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 द्वारा आरोपी के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों/तथ्यों की सम्यक विचारोपरान्त फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) का प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करने हेतु निर्देशित किया गया है।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन श्री राजकमल के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–17.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर नियमित नियोजन को दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए सेवा समाप्त किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री राजकमल, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, गायघाट, पुत्र श्री जगदेव हजरा, ग्राम–बान्देय,पो0–धरमपुर बान्देय,भाया–पटोरी, जिला–समस्तीपुर, बिहार को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक..पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपि– श्री राजकमल, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, गायघाट, पुत्र श्री जगदेव हजरा, ग्राम–बान्देय,पो0–धरमपुर बान्देय,भाया–पटोरी, जिला–समस्तीपुर, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक..पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपि– विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, पटना (पूर्वी)/संचरण अंचल, बिहारशरीफ/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पूर्वी)/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, गायघाट, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पूर्वी) से अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी श्री राजकमल, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, गायघाट, पुत्र श्री जगदेव हजरा, ग्राम–बान्देय, पो0–धरमपुर बान्देय, भाया–पटोरी, जिला–समस्तीपुर, बिहार के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करने (यथा–संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करना) एवं इसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक......293......पटना, दिनांक ......16/6/20....../

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या— 46 /पटना, दिनांक— 16/6/20 /
संजोप/सा0स्था0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन **श्री प्रशान्त कुमार, पुत्र–श्री सुरेश प्रसाद, ग्राम–महेन्द्रपुर, पो0+थाना–हाथीदह, जिला–पटना** को दिनांक–06.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के अधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तद्क्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन श्री **कुमार** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **कुमार** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–215 दिनांक 02.03.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **कुमार** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक–28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित **श्री प्रशान्त कुमार** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं है।**

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–22** पर अंकित श्री **कुमार** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–215 दिनांक–02.03.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विर्निदिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री **कुमार** के शैक्षणिक योग्यता यथा-आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0-29 दिनांक-21.02.2019** द्वारा श्री **कुमार** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-06.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध **श्री कुमार** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य **बनाम** बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-16.05.2019 द्वारा याचिकाकत्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकत्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0-87 दिनांक-07.08.2019 द्वारा **श्री कुमार** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओं) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-1061 दिनांक-07.08.2019 द्वारा श्री **कुमार** को दिनांक-**29.08.2019** को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा-आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में **श्री कुमार** ने अपने आवेदन दिनांक-**29.08.2019** द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय माँगा गया। **श्री कुमार** के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-**1175** दिनांक-**11.09.2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-**14.10.2019** को **श्री कुमार** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक-**1315** दिनांक-**14.10.2019** द्वारा दिनांक-**07.11.2019** को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा-दिनांक-07.11.2019 को श्री **कुमार** समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु **श्री कुमार** द्वारा उनके फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण पत्रो के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण-पत्रो को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि **श्री कुमार** अपने फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र से भली-भाति अवगत रहते हुए लिखित जबाव समर्पित नही किया गया। **तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 की कण्डिका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।**

548

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन **श्री प्रशान्त कुमार** के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-06.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर नियमितिकरण को दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री प्रशान्त कुमार, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, हाथीदह, पुत्र-श्री सुरेश प्रसाद, ग्राम-महेन्द्रपुर,** पो0+थाना-हाथीदह, जिला-पटना को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/-
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक............................ पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपि- **श्री प्रशान्त कुमार, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, हाथीदह, पुत्र-श्री सुरेश प्रसाद, ग्राम-महेन्द्रपुर, पो0+थाना-हाथीदह, जिला-पटना को सूचनार्थ प्रेषित।**

ह0/-
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक............................ पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपि- विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, पटना (पूर्वी)/संचरण अंचल, बिहारशरीफ/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, हाथीदह, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पूर्वी) से अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री प्रशान्त कुमार, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, हाथीदह, पुत्र-श्री सुरेश प्रसाद, ग्राम-महेन्द्रपुर,** पो0+थाना-हाथीदह, **जिला-पटना** के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करने (यथा-संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करन) एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/-
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक........303........ पटना, दिनांक ....16/6/20......../

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/6/20
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या——40——/पटना, दिनांक——16/4/20——/
संचिप/सा0का0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–3

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन **श्री मृत्युंजय कुमार मिश्रा, पुत्र श्री सुनील मिश्रा, ग्राम–माला, पो0–, गुरुकुल मेहियाँ, थाना–मुफ्फसिल, जिला–.सारण, छपरा (बिहार)** को दिनांक–17.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के आधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तद्क्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन श्री मिश्रा की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **मिश्रा** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम मे परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–172 दिनांक 16.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **मिश्रा** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक–28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित **श्री मृत्युंजय कुमार मिश्रा** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं** है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–35** पर अंकित श्री **मिश्रा** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–172 दिनांक–16.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विनिर्दिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका–(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

इस प्रकार श्री **मिश्रा** के शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–30 दिनांक–21.02.2019** द्वारा श्री **मिश्रा** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–17.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री **मिश्रा** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा याचिकाकत्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकत्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0–87 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **मिश्रा** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओ) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक–1056 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **मिश्रा** को दिनांक–**29.08.2019** को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **मिश्रा** ने अपने आवेदन दिनांक–**29.08.2019** द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय माँगा गया। श्री **सिंह** के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक–**1179** दिनांक–**11.09.2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक–**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक–**14.10.2019** को श्री **मिश्रा** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक–**1316** दिनांक–**14.10.2019** द्वारा दिनांक–**07.11.2019** को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा–दिनांक–07.11.2019 को श्री **मिश्रा** समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री **मिश्रा** द्वारा उनके फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण पत्रो के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण–पत्रो को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री **मिश्रा** अपने फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र से भली–भांति अवगत रहते हुए लिखित जबाव समर्पित नही किया गया। **तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।**

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन **श्री मृत्युंजय कुमार मिश्रा** के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–17.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर नियमितिकरण को दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री मृत्युंजय कुमार मिश्रा, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, सोननगर (न्यू) पुत्र श्री सुनील मिश्रा, ग्राम–माला, पो0–.गुरुकुल मेहियाँ, थाना–मुफ्फसिल, जिला–.सारण, छपरा (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि– **श्री मृत्युंजय कुमार मिश्रा, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, सोननगर (न्यू) पुत्र श्री सुनील मिश्रा, ग्राम–माला, पो0–.गुरुकुल मेहियाँ, थाना–मुफ्फसिल, जिला–.सारण, छपरा (बिहार)** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि–विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, डेहरी–आन–सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, डेहरी–आन–सोन/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, सोननगर (न्यू) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री मृत्युंजय कुमार मिश्रा, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, सोननगर (न्यू) पुत्र श्री सुनील मिश्रा, ग्राम–माला, पो0–.गुरुकुल मेहियाँ, थाना–मुफ्फसिल, जिला–.सारण, छपरा (बिहार)** के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई यथा–संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....297.....पटना, दिनांक .....16/6/20...../

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/06/20
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या– 38 /पटना, दिनांक– 16/6/20 /
संजोप/सं०प्रा०/सहायक परिचालक/41/2018 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन **श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, ग्राम–पिरगंज, पो0–सितलपुर, थाना–दिघवारा, जिला–सारण, छपरा (बिहार)** को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के आधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तद्क्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन श्री **कुमार** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **कुमार** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–172 दिनांक 16.02.2016** एवं **पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **कुमार** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम मे उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक–28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित **श्री मनोज कुमार** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं है।**

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्यौगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–34** पर अंकित श्री **कुमार** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–172 दिनांक–16.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विर्निदिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका–(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री **कुमार** के शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तो के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–31 दिनांक–21.02.2019** द्वारा श्री **कुमार** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री **कुमार** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा याचिकाकत्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकत्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0–87 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **कुमार** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओ) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक–1057 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **कुमार** को दिनांक–**29.08.2019** को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **कुमार** ने अपने आवेदन दिनांक–**29.08.2019** द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय माँगा गया। श्री **कुमार** के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक–**1177** दिनांक–**11.09.2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक–**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक–**14.10.2019** को श्री **कुमार** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक–**1317** दिनांक–**14.10.2019** द्वारा दिनांक–**07.11.2019** को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा–दिनांक–07.11.2019 को श्री **कुमार** समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री **कुमार** द्वारा उनके फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण पत्रो के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण–पत्रो को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री **कुमार** अपने फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र से भली–भाति अवगत रहते हुए लिखित जबाव समर्पित नही किया गया। **तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।**

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन **श्री मनोज कुमार** के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर नियमितिकरण को दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री मनोज कुमार, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, बिकमगंज पुत्र श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, ग्राम–पिरगंज, पो0–.सितलपुर, थाना–दिघवारा, जिला–.सारण, छपरा (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि– **श्री मनोज कुमार, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, बिकमगंज पुत्र श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, ग्राम–पिरगंज, पो0–.सितलपुर, थाना–दिघवारा, जिला–.सारण, छपरा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।**

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि–विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, डेहरी–आन–सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, डेहरी–आन–सोन/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, बिकमगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री मनोज कुमार, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, बिकमगंज पुत्र श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, ग्राम–पिरगंज, पो0–.सितलपुर, थाना–दिघवारा, जिला–.सारण, छपरा (बिहार)** के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई यथा–संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक 395 पटना, दिनांक 16/6/20 /

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/6/20
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या— 43 —/पटना, दिनांक— 16/6/20 /
संजोप/सा0स्था0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन **श्री मनमोहन सिंह यादव, पुत्र श्री रामायण सिंह, ग्राम–दुलहपुर, पो0–. दुलहपुर, थाना–सिमरी, जिला–.बक्सर (बिहार)** को दिनांक–18.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के आधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तद्क्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री **यादव** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **यादव** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **यादव** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक–28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि '**पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियो सहित **श्री मनमोहन सिंह यादव** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नही** है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरुप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–51** पर अंकित श्री **यादव** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विनिर्दिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका–(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री **यादव** के शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–38 दिनांक–21.02.2019** द्वारा श्री **यादव** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–18.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री **यादव** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0–87 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **यादव** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओं) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक–1058 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **यादव** को दिनांक–**27.08.2019** को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **यादव** ने अपने आवेदन दिनांक–**27.08.2019** द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय माँगा गया। श्री **यादव** के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक–**1182** दिनांक–**11.09.2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक–**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक–**14.10.2019** को श्री **यादव** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक–**1308** दिनांक–**14.10.2019** द्वारा दिनांक–**07.11.2019** को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा–दिनांक–07.11.2019 को श्री **यादव** समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री **यादव** द्वारा उनके फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण पत्रो के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण–पत्रो को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री **यादव** अपने फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र से भली–भाति अवगत रहते हुए लिखित जबाव समर्पित नही किया गया। **तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।**

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक–909 दिनांक–21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन **श्री मनमोहन सिंह यादव** के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–18.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर नियमितिकरण को दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री मनमोहन सिंह यादव, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, औरंगाबाद पुत्र श्री रामायण सिंह, ग्राम–दुलहपुर, पो0–.दुलहपुर, थाना–सिमरी, जिला–.बक्सर (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि– **श्री मनमोहन सिंह यादव, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, औरंगाबाद पुत्र श्री रामायण सिंह, ग्राम–दुलहपुर, पो0–.दुलहपुर, थाना–सिमरी, जिला–.बक्सर (बिहार)** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि–विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, डेहरी–आन–सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, औरंगाबाद /सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री मनमोहन सिंह यादव, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, औरंगाबाद पुत्र श्री रामायण सिंह, ग्राम–दुलहपुर, पो0–.दुलहपुर, थाना–सिमरी, जिला–.बक्सर (बिहार)** के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई यथा–संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक. 300 पटना, दिनांक 16/6/20/

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/6/20

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

938

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या– 32 /पटना, दिनांक– 16/6/20 /
संजोन/साप्रशा/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन **श्री गणेश प्रसाद, पुत्र श्री रविन्द्र राय, ग्राम–विरस, पो0–सराय, थाना–सराय हाजिपुर, जिला–वैशाली (बिहार)** को दिनांक–18.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के आधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री **प्रसाद** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **प्रसाद** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–171 दिनांक 16.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **प्रसाद** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक– 28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित श्री गणेश **प्रसाद** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं है।**

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरुप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–56** पर अंकित श्री **प्रसाद** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–171 दिनांक–16.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विर्निदिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका–(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री **प्रसाद** के शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–40 दिनांक–21.02.2019** द्वारा श्री **प्रसाद** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–18.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री **प्रसाद** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0–87 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **प्रसाद** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओ) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक–1048 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **प्रसाद** को दिनांक–**27.08.2019** को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **प्रसाद** ने अपने आवेदन दिनांक–**27.08.2019** द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय माँगा गया। श्री प्रसाद के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक–**1176** दिनांक–**11.09.2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक–**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक–**14.10.2019** को श्री **प्रसाद** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक–1310 दिनांक–**14.10.2019** द्वारा दिनांक–**07.11.2019** को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री **प्रसाद**, निर्धारित तिथि दिनांक–07.11.2019 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना आई0टी0आई0 मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए जबाव समर्पित किया गया। श्री **प्रसाद** द्वारा समर्पित जबाव में आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को सही होने एवं मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा श्री प्रसाद से प्राप्त जवाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा समर्पित आई0टी0आई0 मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र की प्रतियाँ वही है जिसे वे पूर्व में अनुबंध नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय में समर्पित किये थे। चुकि उक्त प्रमाण–पत्रो को परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक

कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 1334 दिनांक-10.12.2018 द्वारा जाली एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं प्रतिवेदित किया गया है। अतएव श्री **प्रसाद** द्वारा फर्जी/जाली आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने का मामला पूर्णतः स्थापित होता है। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 की कण्डिका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तो के अधीन श्री गणेश प्रसाद के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-18.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर नियमितिकरण दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री गणेश प्रसाद, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, डुमरॉव, पुत्र- श्री रविन्द्र राय, ग्राम-विरस, पो0-सराय, थाना-सराय हाजिपुर, जिला-वैशाली (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/-
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक..पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि- **श्री गणेश प्रसाद, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, डुमरॉव, पुत्र- श्री रविन्द्र राय, ग्राम-विरस, पो0-सराय, थाना-सराय हाजिपुर, जिला-वैशाली (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।**

ह0/-
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक..पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि- विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, डेहरी-ऑन-सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, **डुमरॉव** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में **श्री गणेश प्रसाद, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, डुमरॉव, पुत्र- श्री रविन्द्र राय, ग्राम-विरस, पो0-सराय, थाना-सराय हाजिपुर, जिला-वैशाली (बिहार) के** विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

ह0/-
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक..........289..........पटना, दिनांक ....16/6/20..........

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

435

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—44—/पटना, दिनांक—16/6/20—/
संजोप/सा०का०/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन **श्री धीरज कुमार सिंह, पुत्र श्री नागेन्द्र सिंह, ग्राम–जिगना, पो0–गोपुर, थाना–गड़खा, जिला–.सारण, छपरा (बिहार)** को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के आधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन श्री **सिंह** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **सिंह** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09. 2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–167 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **सिंह** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक–28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित **श्री धीरज कुमार सिंह** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं है।**

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्यौगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–33** पर अंकित श्री **सिंह** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नही"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–167 दिनांक–15.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विर्निदिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका–(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री **सिंह** के शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–37 दिनांक–21.02.2019** द्वारा श्री **सिंह** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री **सिंह** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा याचिकाकत्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकत्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0–87 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **सिंह** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओ) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक–1066 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **सिंह** को दिनांक–**27.08.2019** को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **सिंह** ने अपने आवेदन दिनांक–**27.08.2019** द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय माँगा गया। श्री **सिंह** के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक–**1183** दिनांक–**11.09.2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक–**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक–**14.10.2019** को श्री **सिंह** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक–**1307** दिनांक–**14.10.2019** द्वारा दिनांक–**07.11.2019** को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा–दिनांक–07.11.2019 को श्री **सिंह** समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री सिंह द्वारा उनके फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण पत्रो के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण–पत्रो को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री **सिंह** अपने फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र से भली–भाति अवगत रहते हुए लिखित जबाव समर्पित नही किया गया। **तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।**

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-68 दिनांक-10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन **श्री धीरज कुमार सिंह** के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-10.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर नियमितिकरण को दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री धीरज कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, जगदीशपुर पुत्र श्री नागेन्द्र सिंह, ग्राम-जिगना, पो0-गोपुर, थाना-गड़खा, जिला-.सारण, छपरा (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/-
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि- **श्री धीरज कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, जगदीशपुर पुत्र श्री नागेन्द्र सिंह, ग्राम-जिगना, पो0-गोपुर, थाना-गड़खा, जिला-.सारण, छपरा (बिहार)** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि-विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, डेहरी-आन-सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, डेहरी-आन-सोन/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, जगदीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री धीरज कुमार सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, जगदीशपुर पुत्र श्री नागेन्द्र सिंह, ग्राम-जिगना, पो0-गोपुर, थाना-गड़खा, जिला-.सारण, छपरा (बिहार)** के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई यथा-संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/-
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....301.....पटना, दिनांक .....16/6/20...../

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/6/20
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय

महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता

संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—— 31 ——/पटना, दिनांक—— 16/6/20 ——/

संजोप/स0अ0/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन **श्री चन्द्रशेखर सिंह, पुत्र– श्री विजय सिंह, ग्राम–अलेखटोला सिताबदियारा, पो0–जयप्रकाश नगर, जिला–बलिया (उत्तर प्रदेश)** को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के आधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तद्क्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन श्री **सिंह** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **सिंह** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–166 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **सिंह** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक– 28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित **श्री चन्द्रशेखर सिंह** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं** है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–32** पर अंकित श्री **सिंह** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–166 दिनांक–15.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विनिर्दिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री **सिंह** के शैक्षणिक योग्यता यथा-आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0-33 दिनांक-21.02.2019** द्वारा श्री **सिंह** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-10.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री **सिंह** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-16.05.2019 द्वारा याचिकाकर्त्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्त्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0-87 दिनांक-07.08.2019 द्वारा श्री **सिंह** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओ) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-1055 दिनांक-07.08.2019 द्वारा श्री **सिंह** को दिनांक-28.08.2019 को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा-आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **सिंह** ने अपने आवेदन दिनांक-28.08.2019 द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय माँगा गया। श्री **सिंह** के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-**1178** दिनांक-**11.09.2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-**14.10.2019** को श्री **सिंह** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक-**1312** दिनांक-**14.10.2019** द्वारा दिनांक-**07.11.2019** को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री **सिंह** निर्धारित तिथि दिनांक-07.11.2019 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना आई0टी0आई0 मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए जबाव समर्पित किया गया। श्री **सिंह** द्वारा समर्पित जबाव में आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को सही होने एवं मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-16.05.2019 द्वारा बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा श्री **सिंह** से प्राप्त जबाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री **सिंह** द्वारा समर्पित आई0टी0आई0 मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की प्रतियाँ वही है जिसे वे पूर्व में अनुबंध नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय में समर्पित किये थे। चुकि उक्त प्रमाण-पत्रो को परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक-2069 दिनांक-16.09.2015 एवं सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक

कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 1334, दिनांक–10.12.2018 द्वारा जाली एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा 'निर्गत नहीं' प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही **श्री सिंह** के आई0टी0आई0 अंक पत्र का संख्या (034495) एवं अन्य 03 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियों के आई0टी0आई0 अंक पत्र का संख्या (034495) एक है। अतएव **श्री सिंह** द्वारा फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने का मामला पूर्णतः स्थापित होता है। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तो के अधीन श्री चन्द्रशेखर सिंह के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–10.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर नियमितिकरण दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री चन्द्रशेखर सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, डुमरॉव, पुत्र– श्री विजय सिंह, ग्राम–अलेखटोला सिताबदियारा, पो0–जयप्रकाश नगर, जिला–बलिया (उत्तर प्रदेश)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.............................पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपि– **श्री चन्द्रशेखर सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, डुमरॉव, पुत्र– श्री विजय सिंह, ग्राम–अलेखटोला सिताबदियारा, पो0–जयप्रकाश नगर, जिला–बलिया (उत्तर प्रदेश) को सूचनार्थ प्रेषित।**

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.............................पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपि– विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, डेहरी–ऑन–सोन/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन /सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, **डुमरॉव** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री चन्द्रशेखर सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II, संचरण अवर प्रमंडल, डुमरॉव, पुत्र– श्री विजय सिंह, ग्राम–अलेखटोला सिताबदियारा, पो0–जयप्रकाश नगर, जिला–बलिया (उत्तर प्रदेश)** के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करने (यथा–संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.......288.......पटना, दिनांक ....16/6/20......./

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या— 33 /पटना, दिनांक— 16/6/20 /

संजोप/सं0ज0/सहायक परिचालक/41/2016 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन **श्री अनिल कुमार, पुत्र श्री राधा साह, ग्राम–धरमपुरा, पो0–रसलपुरा, थाना–डोरीगंज, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** को दिनांक–06.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के आधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन श्री **कुमार** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **कुमार** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–160 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **कुमार** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक– 28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित **श्री अनिल कुमार** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं** है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनःजाँच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–45** पर अंकित श्री **कुमार** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–160 दिनांक–15.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–08 में विर्निदिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका–(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:– "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered.".

इस प्रकार श्री **कुमार** के शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तो के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0–39 दिनांक–21.02.2019** द्वारा श्री **कुमार** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–06.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री **कुमार** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0–87 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **कुमार** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्ताओ) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक–1049 दिनांक–07.08.2019 द्वारा श्री **कुमार** को दिनांक–**27.08.2019** को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा–आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **कुमार** ने अपने आवेदन दिनांक–**27.08.2019** द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय माँगा गया। श्री **कुमार** के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक–**1180** दिनांक–**11.09.2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक–**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक–**14.10.2019** को श्री **कुमार** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक–**1309** दिनांक–**14.10.2019** द्वारा दिनांक–**07.11.2019** को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन द्वारा निर्गत उक्त पत्र के आलोक में श्री **कुमार**, निर्धारित तिथि दिनांक–07.11.2019 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना आई0टी0आई0 मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए जबाव समर्पित किया गया। श्री **कुमार** द्वारा समर्पित जबाव में आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र को सही होने एवं मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक–16.05.2019 द्वारा बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा श्री **कुमार** से प्राप्त जवाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री **कुमार** द्वारा समर्पित आई0टी0आई0 मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र की प्रतियाँ वही है जिसे वे पूर्व में अनुबंध नियोजन तथा सेवा नियमितिकरण के समय में समर्पित किये थे। चुकि उक्त प्रमाण–पत्रो को परीक्षा नियंत्रक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक

कार्यालय, नियोजन भवन, पटना के 1334 दिनांक–10.12.2018 द्वारा जाली एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत नही प्रतिवेदित किया गया है। अतएव श्री कुमार द्वारा फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने का मामला पूर्णतः स्थापित होता है। तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 की कण्डिका–VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–68 दिनांक–10.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तो के अधीन श्री अनिल कुमार के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक–06.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर नियमितिकरण दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से रद्द करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री अनिल कुमार, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II संचरण अवर प्रमंडल, छिटहा, पुत्र श्री राधा साह, ग्राम–धरमपुरा, पो0–रसलपुरा, थाना–डोरीगंज, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि– **श्री अनिल कुमार, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II संचरण अवर प्रमंडल, छिटहा, पुत्र श्री राधा साह, ग्राम–धरमपुरा, पो0–रसलपुरा, थाना–डोरीगंज, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि–/विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, पटना (पश्चिमी)/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, पटना (पश्चिमी)/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, छिटहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक–908 दिनांक–21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री अनिल कुमार, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड–II संचरण अवर प्रमंडल, छिटहा, पुत्र श्री राधा साह, ग्राम–धरमपुरा, पो0–रसलपुरा, थाना–डोरीगंज, जिला–छपरा, सारण (बिहार)** के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करने (यथा–संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने) एवं इसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/–
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक. 290 .....पटना, दिनांक 16/6/20 ...../

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/6/20
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

426

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—— 42 ——/पटना, दिनांक—— 16/6/20 ——/
संजोप/काआपा/सहायक परिचालक/41/2018 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन **श्री अरुण कुमार राय, पुत्र श्री छदू राय, ग्राम–महमदा मंगल टोला, पो0–.महमदा, थाना–गरखा, जिला–.सारण, छपरा (बिहार)** को दिनांक–17.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के आधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन श्री **राय** की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **राय** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–168 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **राय** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक–28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित **श्री अरुण कुमार** राय के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं** है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–29** पर अंकित श्री **राय** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–168 दिनांक–15.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विर्निदिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक 15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री **राय** के शैक्षणिक योग्यता यथा-आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तो के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0-32 दिनांक-21.02.2019** द्वारा श्री **राय** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-17.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री **राय** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-16.05.2019 द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेंतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0-87 दिनांक-07.08.2019 द्वारा श्री **राय** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओं) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-1051 दिनांक-07.08.2019 द्वारा श्री **राय** को दिनांक-28.08.2019 को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा-आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पॉच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **राय** ने अपने आवेदन दिनांक-28.08.2019 द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय माँगा गया। श्री **राय** के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-1171 दिनांक-11.09.2019 द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-14.10.2019 को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदानुसार में दिनांक-14.10.2019 को श्री **राय** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक-1311 दिनांक-14.10.2019 द्वारा दिनांक-07.11.2019 को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा-दिनांक-07.11.2019 को श्री **राय** समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री **राय** द्वारा उनके फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण पत्रो के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण-पत्रो को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री **राय** अपने फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र से भली-भांति अवगत रहते हुए लिखित जबाव समर्पित नही किया गया। **तदानुसार में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 की कण्डिका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।**

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई0टी0आई0) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तों के अधीन **श्री अरुण कुमार राय** के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-17.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर नियमितिकरण को दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री अरुण कुमार राय, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, बाढ़ पुत्र श्री छवू राय, ग्राम-महमदा मंगल टोला, पो0-.महमदा, थाना-गरखा, जिला-.सारण, छपरा (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह0/-
(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक..पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपि- **श्री अरुण कुमार राय, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, बाढ़ पुत्र श्री छवू राय, ग्राम-महमदा मंगल टोला, पो0-.महमदा, थाना-गरखा, जिला-.सारण, छपरा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।**

ह0/-
(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक..पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपि-विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, पटना (पूर्वी)/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, बाढ़/सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री अरुण कुमार राय, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, बाढ़ पुत्र श्री छवू राय, ग्राम-महमदा मंगल टोला, पो0-.महमदा, थाना-गरखा, जिला-.सारण, छपरा (बिहार)** के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई यथा-संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह0/-
(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक.........299.........पटना, दिनांक ....16/6/20........../

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/6/20

(अरुण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

1423

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता
संचरण जोन, पटना।

कार्यालय आदेश संख्या—— 41 ——/पटना, दिनांक—— 16/6/20 ——/
संजोप/सहाप्र०/सहायक परिचालक/41/2015 पार्ट–2

संचरण जोन, पटना के नियोजन सूचना सं0–01/09 के अन्तर्गत का0आ0संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन **श्री बलवन्त सिंह, पुत्र श्री रामेश्वर सिंह, ग्राम–बसाढी, पो0–गरुकुल मेहियाँ, जिला–.सारण, छपरा (बिहार)** को दिनांक–17.05.2010 के प्रभाव से अनुबंध के आधार पर **सहायक परिचालक** के पद पर नियोजित किया गया। तदुक्रम में, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या–395 दिनांक–15.04.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन श्री सिंह की सेवा दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से सहायक परिचालक कोटि–II के पद पर (नियमित वेतनमान में) नियमितिकरण किया गया।

श्री **सिंह** का सहायक परिचालक ग्रेड–II के पद पर दिनांक–01.04.2015 के प्रभाव से नियमितिकरण के उपरान्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की प्रति का सत्यापन कराने के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, बिहार, सरकार, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया। सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि हेतु संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1311 दिनांक–22.09.2015 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना, बिहार के लेटर हैड से निर्गत **पत्रांक–165 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** द्वारा श्री **सिंह** का प्रमाण पत्र सही होने की सूचना दी गई, जिसके आधार पर कार्यालय आदेश सं0–59 दि0–16.05.2016 द्वारा वेतनादि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी क्रम में उपर्युक्त पत्र द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 एवं पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016 में भिन्नता के साथ ही कुछ कर्मियों के आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र की संख्या समान पायी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित उक्त दोनो पत्रो को संलग्न करते हुए संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1224 दिनांक–28.09.2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध किया गया।

तदालोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–697 दि0–24.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **'पत्रांक–272 दिनांक–21.03.2016** इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही किया गया है। अर्थात यह पत्र जाली है।' साथ ही पत्रांक–2069 दिनांक–16.09.2015 द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मियों सहित **श्री बलवन्त सिंह** के संबंध में यह अभ्युक्ति अंकित की गई कि उनका आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जाली है एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से **निर्गत नहीं** है।

इस प्रकार सम्पुष्टि प्रतिवेदनों में परस्पर भिन्नता पाये जाने से उत्पन्न विरोधाभास के फलस्वरूप संचरण जोन, पटना के पत्रांक–1096 दि0 03.11.2018 द्वारा पुनः परीक्षा नियंत्रक, औद्योगिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0 दीघा, पटना/सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना से मामले की पुनर्जांच कर अभिलेख का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में सहायक निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना के पत्रांक–1334 दिनांक–10.12.2018 के द्वारा समर्पित गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन में **क्रम संख्या–30** पर अंकित श्री **सिंह** के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र/अंक पत्र के संबंध में अभ्युक्ति **"निर्गत नहीं"** प्रतिवेदित किया गया, साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, पटना के नाम से निर्गत **पत्रांक–165 दिनांक–15.02.2016** फर्जी है तथा किसी न किसी स्तर पर जालसाजी की जा रही है।

संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–78 दिनांक–18.05.2010 के द्वारा सहायक परिचालक के पद पर किये गये अनुबंध नियोजन की कंडिका–06 में विर्निदिष्ट है कि– "If any information given by them with regard to their qualification, Date of Birth, Caste with creamy layer is found incorrect or if any discrepancy is found in the genuineness of certificate in part or in full at any time during the period of their engagement, they will be disengaged and further legal action will be taken".

P.T.O

इसके अतिरिक्त, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 द्वारा निर्गत नियमितिकरण आदेश की कण्डिका-(VIII) में विनिर्दिष्ट है कि:- "If any information given by them with regard to their qualification, date of birth, caste & creamy layer certificate, domicile certificate etc. is found incorrect or if any discrepancy is found in part or full, at any time during the period of their employment, their services will be terminated with retrospective effect and legal action will be initiated as well as the pay and allowances received by them on this account, will be recovered."

इस प्रकार श्री **सिंह** के शैक्षणिक योग्यता यथा-आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र के फर्जी पाये जाने एवं इनके द्वारा की गई जालसाजी से संबंधित मामले में समीक्षोपरान्त एवं नियोजन के शर्तों के अधीन संचरण जोन, पटना के **का0आ0सं0-34 दिनांक-21.02.2019** द्वारा श्री **सिंह** का सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-17.05.2010 के प्रभाव से रदद किया गया एवं साथ ही सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से किये गये नियमितिकरण को रदद करते हुए सेवा समाप्त किया गया।

सेवा समाप्त किये जाने संबंधी निर्गत आदेश के विरूद्ध श्री **सिंह** एवं समान मामले में सेवा समाप्त किये गये अन्य 18 तकनीकी कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC N0-1421/2019 [राज कमल एवं अन्य बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना एंव अन्य] दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-16.05.2019 द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनका पक्ष प्राप्त करने और उसके बाद नियमसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बीच याचिकाकर्त्ताओं के लिये उनकी बहाली मान्य नही होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संचरण जोन, पटना के का0आ0सं0-87 दिनांक-07.08.2019 द्वारा श्री **सिंह** सहित सभी 19 सेवामुक्त तकनीकी कर्मियो (याचिकाकर्त्ताओ) का नियोजन रदद करने हेतु निर्गत कार्यालय आदेशो का निरस्त किया गया एवं उनकी बहाली मान्य नही की गई। न्याय निर्णय के आलोक में संचरण जोन, पटना के नोटिस पत्रांक-1065 दिनांक-07.08.2019 द्वारा श्री **सिंह** को दिनांक-28.08.2019 को उनके शैक्षणिक योग्यता यथा-आई0टी0आई प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने के मामले में उनका लिखित जबाव समर्पित करने हेतु नोटिस पत्र उनके आवासीय पता पर निबंधित डाक से भेजा गया एवं साथ ही इसे संचरण कंपनी मुख्यालय के बेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। साथ ही निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त लिखित जबाव की सम्यक समीक्षा करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-91 दिनांक 17.08.2019 द्वारा महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

संचरण जोन पटना द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में श्री **सिंह** ने अपने आवेदन दिनांक-28.08.2019 द्वारा गृह जिला में बाढ़ रहने तथा दूसरे अन्य कारणो से अपना पक्ष एवं प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय माँगा गया। श्री **सिंह** के आवेदन के आलोक में संचरण जोन, पटना के पत्रांक-**1172** दिनांक-**11.09.2019** द्वारा अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-**14.10.2019** को 11:00 बजे पूर्वाहन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, नियोजन से संबंधित विभागीय आदेश की मूल/सत्यापित प्रति तथा अपना वैध पहचान पत्र के साथ लिखित जबाव समिति के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदालोक में दिनांक-**14.10.2019** को श्री **सिंह** समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं पूर्व में उल्लेखित समान कारण का हवाला देते हुए अग्रतर 15 दिनो का समय देने हेतु अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर समीक्षोपरान्त पत्रांक-**1313** दिनांक-**14.10.2019** द्वारा दिनांक-**07.11.2019** को समिति के समक्ष निश्चित रूप से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

संचरण जोन पटना के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि यथा-दिनांक-07.11.2019 को श्री सिंह समिति के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु श्री सिंह द्वारा उनके फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण पत्रो के संबंध में न तो लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही प्रमाण-पत्रो को प्रस्तुत किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में समिति द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिंह अपने फर्जी/जाली आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र से भली-भाति अवगत रहते हुए लिखित जबाव समर्पित नही किया गया। **तदालोक में समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का0आ0संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 की कण्डिका-VIII के आलोक में सेवा से बर्खास्त करने एवं अन्य शर्तानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।**

समिति के प्रतिवेदन एवं मामले में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर महाप्रबंधक (मा०सं० / प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 द्वारा फर्जी शैक्षणिक योग्यता (आई०टी०आई०) प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के आरोप में नियोजन रदद करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार संचरण जोन, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-78 दिनांक-18.05.2010 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के का०आ०संख्या-395 दिनांक-15.04.2015 में निहित नियोजन की शर्तो के अधीन **श्री बलवन्त सिंह** के सहायक परिचालक के पद पर अनुबंध नियोजन को दिनांक-17.05.2010 के प्रभाव से एवं सहायक परिचालक कोटि-II के पद पर नियमितिकरण को दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से रदद करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति **श्री बलवन्त सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, बिक्रमगंज पुत्र श्री रामेश्वर सिंह, ग्राम-वसाढी, पो0-गरुकुल मेहियाँ, जिला-.सारण, छपरा (बिहार)** को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

ह०/-
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक..पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपि- **श्री बलवन्त सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, बिक्रमगंज पुत्र श्री रामेश्वर सिंह, ग्राम-वसाढी, पो0-गरुकुल मेहियाँ, जिला-.सारण, छपरा (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।**

ह०/-
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक..पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपि-विद्युत अधीक्षण अभियंता / लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, डेहरी-आन-सोन / विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, डेहरी-आन-सोन / सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, बिक्रमगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (मा०सं० / प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पत्रांक-908 दिनांक-21.05.2020 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर गलत तरीके से नियोजन प्राप्त करने के दोषी **श्री बलवन्त सिंह, तदेन सहायक परिचालक ग्रेड-II, संचरण अवर प्रमंडल, बिक्रमगंज पुत्र श्री रामेश्वर सिंह, ग्राम-वसाढी, पो0-गरुकुल मेहियाँ, जिला-.सारण, छपरा (बिहार)** के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई यथा-संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं इसकी सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

ह०/-
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता

ज्ञापांक..................298..................पटना, दिनांक ....16/6/20..................../

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा०सं० / प्रशा०) / उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना / बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ प्रेषित।

18/06/20
(अरूण कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता